संख्याः 30/2021/509/छप्पन-2021-67/17

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊः दिनांक: 01 मार्च, 2021

विषयः राजकीय उड़ान के प्रयोजन से राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर पायलटों के आवास तथा परिवहन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-50/ना0उ0नि0/आप्स-36/2019 दिनांक 16 मार्च, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय उड़ान के प्रयोजन से अपरिहार्यता की स्थिति में राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर पायलटों के आवास तथा परिवहन की व्यवस्था हेतु किये जाने वाले व्यय हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कि विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय राजकीय उड़ान के प्रयोजन से राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर पायलटों के आवास तथा परिवहन की व्यवस्था हेतु व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा वास्तविक व्यय के आधार पर निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन निर्धारित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रदेश के अन्दर की उड़ान की दशा में पायलटों को पहले सरकारी डाक बंगला व सर्किट हाउस आदि की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रत्येक संभव प्रयास सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा | उक्त व्यवस्था न हो पाने की दशा में विशेष परिस्थितियों में राजकीय उड़ान के प्रयोजन से अपरिहार्यता की स्थिति में पायलटों द्वारा स्वयं व्यवस्था की जाएगी, उक्त प्रयोजनार्थ राज्य के अन्दर आवास तथा परिवहन की व्यवस्था हेतु रु0 7000/- अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है, जिसका भुगतान वास्तविक बिल के अनुसार नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जायेगा |

(2) प्रदेश के बाहर उड़ान की दशा में सम्बंधित प्रदेश के शहरों में जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के अथिति गृह हैं, वहां अथितिगृह के व्यवस्थाधिकारी द्वारा पायलटों के लिए अध्यासन एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रत्येक संभव प्रयास किया जायेगा | प्रदेश से बाहर जिन शहरों में अतिथि गृह नहीं हैं, वहां और जिन शहरों में अतिथिगृह हैं वहां अतिथि गृह में व्यवस्था नहीं हो पाने पर विशेष परिस्थितियों में राजकीय उड़ान के प्रयोजन से अपरिहार्यता की स्थिति में पायलटों द्वारा स्वयं व्यवस्था की जाएगी, उक्त प्रयोजनार्थ राज्य के बाहर आवास तथा परिवहन की व्यवस्था हेतु रु0 10000/- अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है, जिसका भुगतान वास्तविक बिल के अनुसार नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जायेगा |

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) यह व्यवस्था नियमित एवं संविदा सेवा दोनों प्रकार के पायलटों पर इस सीमा तक लागू होगी|

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-289/दस-2021, दिनांक 25 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

पृ0सं0- 30/2021/509(1)/छप्पन-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश|

6- राज्य संपत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे एक आदेश निर्गत करके राज्य अतिथि गृहों के व्यवस्थाधिकारी को उक्तानुसार पायलटों के अध्यासन/परिवहन की व्यवस्था हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें|

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।